08.09.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०।
वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने
एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया
—लगातार

फर्द अहकाम

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
	गया कि प्रार्थी द्वारा वादाधीन भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का उसमे जन्म से हक एवं अधिकार निहित है इसलिये वादाधीन भूमि मे से प्रार्थी के हक एवं हिस्सा तक की भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को बार-बार अवसर देने पर भी जवाब प्रा॰ पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब बन्द किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु जो अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवश्यक है प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा॰ पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तफेसला मूल वाद ओदेशिका दिनांक 07.02.2022 के अनुसार भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] (सुनीलकुमार चौहान) RAS.	